संoसंo–1/एलoएचoवीo–01/2018–93(1)वि0

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल,
पटना सिटी।

पटना, दिनांक– 21 / 01 /2019

विषयः– महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, पटना को विपत्र कोड–20–2210051050011 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल रु० 6,32,500/–(रुपये छः लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, एल0एच0भी0 स्कूल, पटना सिटी के पत्रांक–212, दिनांक–06.11.2018 के आलोक में महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, पटना, विपत्र कोड–20–2210051050011 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में वेतन एवं भत्ते मद में कुल रु० 6,32,500/–(रुपये छः लाख बत्तीस हजार पाँच सौ) मात्र का अतिरिक्त आवंटन निम्नरुपेण दी जाती है–

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0011.01.01 वेतन	7135000	5351250	450000	5801250	1333750
0011.01.03 जीवन यापन भत्ता	714000	535500	40500	576000	138000
0011.01.04 मकान किराया भत्ता	1115000	836250	72000	908250	206750
0011.01.05 परिवहन भत्ता	414000	310500	40000	350500	63500
0011.01.06 चिकित्सा भत्ता	270000	202500	10000	212500	57500
0011.01.07 अन्य भत्ता	105000	78750	20000	98750	6250
योग– वेतन एवं भत्ते	**9753000**	**7314750**	**632500**	**7947250**	**1805750**

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2356/वि0(2), दिनांक–12.04.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 3388/वि0(2), दिनांक–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, गुरू गोविन्द सिंह अस्पताल, पटना सिटी होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

क्रमशः

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0011–महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय, विपत्र कोड–20–2210051050011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

8. इस राशि की निकासी कोषागार, पटना सिटी से की जाएगी।

9. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

18/1/19

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–1/एल0एच0वी0–01/2018– 93(1) ब0 /स्वा0, पटना, दिनांक– 21 / 01 /2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना सिटी कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/1/19

सरकार के विशेष सचिव